530

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी 737-15

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

लक्ष्मन पुत्र मनप्यारे कुशवाहा निवासी–ग्राम गोरा, तहसील राजनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.) ––आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला–छतरपुर (म.प्र.) –– अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 101/अ–19 (4) /स्व.निग./05–06 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम गोरा में स्थित भूमि सर्वे नं. 25 रकवा 0.829 है0, वर्ष 1998–99 के खसरे में शासकीय अंकित होकर कदीम नोइयत की दर्ज थीं। उक्त भूमि पर आवेदक का वर्ष 1980–81 के पूर्व से कब्जा कास्त करके चला आ रहा था एवं वह भूमिहीन कृषि श्रमिक था। क्योंकि उसके या परिवार में किसी भी व्यक्ति पर कोई भूमि नहीं थीं। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। तथा भूमि व्यवस्थापित किये जाने का निवेदन किया था। आवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि के खसरा वर्ष 1980–81 से 1984–85, 1985–86 से 1989–90 व 1998–99 के छायाप्रति प्रस्तुत की गयीं थीं। तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 2/अ–19 (4)/02–03 पर पंजीबद्ध किया जाकर इस्तहार का प्रकाशन कराने तथा पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने व इस्तहार उपरान्त कोई आपत्ति न आने पर साक्षी रामप्रसाद का कथन लिया जाकर आवेदक का कब्जा दिनांक 02.10.1984 के पूर्व से प्रमाणित मानकर आदेश दिनांक 17.09.2003 से मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का रकवा 0.829 है0 भूमि पर आवेदक को भूमि स्वामी घोषित किये जाने का आदेश पारित किया।
2. यहकि, तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का उपरोक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया। इसलिये जो आदेश अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में पारित किया है। वह अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, तहसील न्यायालय का आदेश एक अपीलीय आदेश था, जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सकती थीं न कि पुनरीक्षण अथवा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-737-एक/2015 जिला छतरपुर लक्ष्मन विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 101/अ-19(4)/स्व.निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 31-01-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-04-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

31.01.19

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31-01-19
सदस्य